श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/203

प्रार्थी जसवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एम एम के मोरजण्डखारी सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस सदस्य प्रमाण पत्र पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता जरनैल सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.11.2013 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 25.02.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 18.11.2013 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान सिंगार सिंह पुत्र रणजोध सिंह एवं जय सिंह पुत्र मेहर सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री श्रीपाल जोशी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सीलड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है
जिला पंजीयक महोदय

17/6/22